

समक्ष न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल खण्डपीठ रीवा,
जिला रीवा म0प्र0

10)

द्वितीय अपील क0-



A-3785-III/14

- 715
15-10-14
- 1- आदिवासी मछुआ समिति मर्यादित एवं मछुआ स्व-हायता समूह मुकुन्दपुर, जिला सतना द्वारा अध्यक्ष मदन ^{शर्मा} कोल तनय रामलाल कोल
 - 2- रामदीन कोल तनय सूरज कोल सदस्य दोनों निवासी ग्राम मुकुन्दपुर, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0
- अपीलार्थीगण

क्रमांक 3486

रजिस्टर्ड केस द्वारा आज दिनांक 24-10-14 को प्राप्त

बनाम

1- अमय मछुआ सहकारी समिति मर्यादित आनन्दगढ़ द्वारा अध्यक्ष रामलाल कहार ग्राम आनन्द गढ़, विकास खण्ड अमरपाटन, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0
- 3- सहायक संचालक मत्स्य उद्योग सतना जिला सतना म0प्र0

प्रत्यर्थीगण

श्री. आनन्द प्र. साहू द्वारा आज दिनांक 15.10.14 को प्रस्तुत किया गया।

रीवा सफ्ट कोर्ट रीवा

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के अपील प्रकरण क0-41/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2014

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता

मान्यवर

अपील के आधार निम्नांकित हैं :-


- 1- यहकि यह कि अपीलार्थीगण ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर के आदिवासी हैं, जिनकी आदिवासी मछुआ समिति मर्यादित मुकुन्दपुर व आदिवासी मछुआ स्व-सहायता समूह है, जिसके सभी आदिवासी सदस्य हैं।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-A.3785-III/14

जिला-सतना

आदिवासी मछुआ समिति/अभय मछुआ सहकारी

(1)	(2)	(3)
25.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	